नवोदय विद्यालय समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर संभाग

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग का एक स्वायत्त संस्थान)

18, संग्राम कॉलोनी, महावीर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

<u>निविदा सूचना</u>

नवोदय विद्यालय समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर अपने कार्यालय के उपयोग हेतु कोई एक डीजल कार मारूति डिजायर/बोलेनों/होण्डा अमेज/हुण्डई क्रेटा/आई– 20, मॉडल 2017 अथवा 2018 (बिना वाहन चालक के) निर्धारित शर्तो पर अनुबन्ध पर लेने हेतु निविदा आमंत्रित करती है। निविदा फार्म 500/– रूपये मूल्य पर दिनांक 16.07.2018 से प्रातः 10:00 बजे से सांयकाल 3:00 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस में इस कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते है जिन्हें दिनांक 24.07.2018 के सांय 03:00 बजे तक इस कार्यालय में कार्यदिवस के दौरान जमा करवाया जा सकता है। प्राप्त निविदाए दिनांक 24.07.2018 को सांयकाल 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष इस कार्यालय में खोली जाएंगी। निर्धारित निबंधन और शर्ते निविदा फार्म में अंकित है। निविदा फार्म इस कार्यालय की वेब–साईट **www.nvsrojpr.gov.in** से भी download किया जा सकता है परन्तु Downloaded फार्म के साथ 500/– रूपये शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि ''उपायुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर'' के पक्ष में लिखा हो एवं जयपुर स्थित बैंक में देय हो संलग्न करना होगा।

उपायुक्त

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI
जयपुर सम्भाग – (राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली राज्य)
JAIPUR REGION - (RAJASTHAN, HARYANA & DELHI STATES)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का एक स्वायत्त संस्थान
An Autonomous Organization of Ministry of H.R.D., Department of School Education & Literacy
भारत सरकार / GOVT. OF INDIA
~~~~~~
Phone 0141- 2375110, 2371954, Fax 0141- 2375426,

–क्षेत्रीय कार्यालय–
18,संग्राम कॉलोनी, महावीर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001 (राजस्थान)

-Regional Office-
18, Sangram Colony, Mahaveer Marg, C-Scheme, Jaipur -302001 (Rajasthan)
Web Site :
[www.nvsrojpr.gov.in]

F. No 67-9 /Hiring of Staff Car/ NVS-JR/Admn./2018/Vol-6/ दिनांकः

निविदा प्रपत्र

वाहन अनुबन्ध पर लेने हेतु

निविदा प्रपत्र संख्या–......................(पृष्ठ 1 से 4 तक)

निविदा प्रपत्र का मूल्य– **रू0 500/–**

निविदा प्रपत्र विक्रय तिथि 16.08.2018 से 24.07.2018 (प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांयकाल 3.00 बजे तक)

निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथिः 24.07.2018 **अपराहन् 3.00 बजे तक।**

निविदा खोलने की तिथि एवं स्थानःदिनांक 24.07.2018, **अपराहन् 4.00 बजे, नविस क्षे0 का0, जयपुर सहायक आयुक्त (प्रशासन) के कक्ष में।**

धरोहर राशि का विवरण– **रू0 5000/–**

(ई0एम0डी0) बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर संख्या..दिनांक.........................

बैंक का नाम...

निविदादाता का नाम :– ....

पत्राचार का स्थायी पता :–..

....

.... दूरभाष नम्बर...........................

.

क. सं.	**कार का नाम**	**मॉडल**	**वाहन स्वामी के हस्ताक्षर**

नियम एवं शर्तें

1. वाहन सम्पूर्ण दिवस (24 घण्टे) के उपयोग हेतु दो वर्ष की अवधि हेतु अनुबंधित होगी।

2. किराये पर अनुबंधित वाहन **(डीजल) माडल 2017/2018** बिना वाहन चालक के मासिक दर पर रखा जाना है।

3. वाहन टैक्सी कार्य हेतु परिवहन विभाग में पंजीकृत एवं आल इण्डिया परमिट प्राप्त होना चाहिये।

4. नवोदय विद्यालय समिति अनुबंधित वाहन पर केवल डीजल–व्यय वहन करेगी। अन्य व्यय जैसे सर्विसिंग, रख रखाव, टूट–फूट, आयल एण्ड लुब्रिकेन्ट, पुर्जो की अदला बदली का दायित्व वाहन स्वामी
~~~~~~

का होगा। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के अंर्तगत रोड टैक्स, व्यापक बीमा (जिसमें चोरी, आगजनी एवं दुर्घटना आदि सुरक्षित हों) करवाने की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।

5. वाहन स्वामी द्वारा अंकित मासिक किराये की अवधि दो वर्ष के लिये अनुबंधित की जायेगी एवं उसका भुगतान प्रतिमाह वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर किया जायेगा। यह वाहन समिति परिसर में ही पार्क किया जायेगा। अनुबंधित वाहन को प्रतिमाह में एक दिन एवं वर्ष में कुल 12 दिवसों के लिये सर्विसिंग/रख रखाव हेतु दिया जायेगा। किसी भी प्रकार की मरम्मत के लिये एक साथ चार दिनों से अधिक का समय नहीं दिया जायेगा एवं इस अवधि हेतु वैकल्पिक समकक्ष वाहन की व्यवस्था वाहन स्वामी को करनी होगी। यदि वाहन स्वामी वैकल्पिक वाहन उपलब्ध नहीं करा पाता है तो इस अवधि हेतु उसके मासिक किराये में से **रूपये 1200/—(रूपये बारह सौ मात्र)** प्रतिदिन के निमित्त अथवा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा यदि दूसरा वाहन लिया जाता है तो उस पर किये गये वास्तविक व्यय (जो भी अधिक हो) की राशि वसूल की जायेगी। अनुबंधित वाहन का उपयोग पूर्णतः आवश्यक्तानुसार संपूर्ण राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली राज्यों में किया जायेगा। साथ ही आवश्यकता पड़नें पर अन्य राज्यों में भी वाहन का उपयोग किया जा सकता है। राज्यों का अस्थाई टैक्स इस कार्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

6. अनुबंध के समय निविदादाता को रूपये 10,000/—प्रतिभूति राशि के रूप में समिति में जमा करनी होगी जिसमें से धरोहर राशि रू0 5000/— समायोजित कर दी जायेगी अर्थात अनुबंध कें समय मात्र रू0 5000/— प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति सामान्यतः अनुबंध समाप्ति के छः माह पूरे होने पर बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

7. वाहन स्वामी को अनुबंधित वाहन के साथ सुरक्षित सेवायें समिति को देने की जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसा न करने पर एवं संतोषजनक सेवायें न मिलने पर वाहन के अनुबंध को किसी भी समय व बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है। यह अधिकार उपायुक्त नवोदय विद्यालय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

8. वाहन को समिति का वाहन चालक चलायेगा।

9. निविदादाता /इच्छुक एजेन्सी को विधिवत भरे हुये निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 5000/—(रूपये पॉच हजार मात्र) बैंक डाफ्ट /पे आर्डर के रूप में जो "Deputy Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, Regional Office, Jaipur" को देय हो, धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा। (यह राशि किसी भी दशा में नकद या चेक द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी)। निविदा स्वीकृत न होने की स्थिति में यह धरोहर राशि अपने मूल रूप(बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर) में वापस कर दी जायेगी।

10. वाहन हेतु निविदादाता द्वारा दी गयी किराये की दरें स्वीकृत होने पर यदि वाहन स्वामी अनुबंध करने से मना करता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

11. वाहन को अच्छी हालत में रखने की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।

12. जयपुर क्षेत्र में रहने वाले वाहन स्वामीं को वरीयता दी जा सकती है।

13. नवोदय विद्यालय समिति, जयपुर संभाग के पास किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बतायें निरस्त करने के अधिकार सुरक्षित रहेंगें।

14. निविदादाता एवं नविस, क्षे.का. जयपुर के मध्य कोई विवाद होता है तो इस संबंध में उपायुक्त, नवोदय विद्यालय समिति जयपुर का निर्णय मान्य होगा एवं कानूनी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा ।

15. निविदा प्रपत्र के साथ निम्नाकिंत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि भी आवश्यक रूप से संलग्न करे :—

i) कार का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (RC)।
ii) कार का बीमा ।
iii) कार क्रय का साक्ष्य।
iv) प्रदूषण प्रमाण पत्र ।
v) ऑल इण्डिया परमिट।
vi) फर्म / मालिक का पैन तथा आधार कार्ड ।

उपायुक्त

निविदा प्रपत्र जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर।

नोटः— उपरोक्त 1 से 15 तक अंकित शर्ते एवं नियम का अवलोकन किया गया जो कि निविदादाता को मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

<u>वाहन स्वामी द्वारा प्रमाण पत्र</u>

मैंनें निविदा प्रपत्र में क्रम संख्या **01 से 15** तक दिये गये नियम एवं शर्तों को भली भांति पढ़कर समझ लिया है एवं मैं उन पर अपनी सहमति प्रकट करता हूँ। मेरे द्वारा अनुबंध हेतु मासिक किराये की दर निम्न प्रकार से दी गयी है।

बिना वाहन चालक एवं डीजल के वाहन का मासिक किराया

वाहन का नाम	**डल**	**ा राशि ा**

वाहन स्वामी के हस्ताक्षर,

नाम पूरा पता...

...

दूरभाष–.....................

रसीद संख्या.................................

दिनांक...

राशि...

प्रति हस्ताक्षर